





# न्यायालय, अपर समाहर्ता, खगड़िया

जमाबंदी सुधार वाद संख्या-05/2012-13

सत्येदव शर्मा बनाम मसो0 चित्रा देवी

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सदि 3.
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">22.7.15</p>	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख अंचल अधिकारी, बेलदौर तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोगरी के द्वारा जमाबंदी सुधार अंग्रसारित है। अंचल अधिकारी, बेलदौर तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोगरी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन/ओदश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दायर वाद में सन्निहित भूमि में स्वत्व न्याय-निर्णित करने का संशलिस्ट प्रश्न निहित है, जिसके लिए पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे।</p> <p style="text-align: center;">इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बेलदौर को उनके मूल अभिलेख के साथ भेंजे एवं जिला के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को भेंजे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता, खगड़िया।         </div> <div style="text-align: center;">               अपर समाहर्ता, खगड़िया।         </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">डी०बी० नं०-363/दिनांक-22.11.2015</p> <p>प्रतिवेदि :- अंचल अधिकारी, बेलदौर को सूचना एवं अनुपालनाथ प्रेषित। साथ ही आपका मूल अभिलेख वापस किया जाता है।</p> <p>प्रतिवेदि :- भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी को सूचना एवं अनुपालनाथ प्रेषित।</p> <p>प्रतिवेदि :- N.I.C, खगड़िया को सूचना एवं अनुपालनाथ प्रेषित।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               अपर समाहर्ता,              खगड़िया।   </div>	

Received  
for return  
22/11/15